

फा. सं. 370149/107/2026-टीपीएल

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(टीपीएल प्रभाग)

कक्ष सं. 14020, डी-विंग, चौथी मंजिल,
कर्तव्य भवन 1, नई दिल्ली
दिनांक 06 जुलाई, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536 (निरसन और बचत) के अंतर्गत संक्रमण प्रावधानों से संबंधित स्पष्टीकरणात्मक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न — संबंधित

टीपीएल प्रभाग को आयकर अधिनियम, 2025 के 01.04.2026 से लागू होने के पश्चात से धारा 536 के अंतर्गत संक्रमण प्रावधानों से संबंधित स्पष्टीकरण हेतु टिप्पणियाँ/इनपुट प्रस्तुत करने के अनुरोध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

2. इस संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है कि संलग्नक के अनुसार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536 से संबंधित एफएक्यू को इसके जारी करने/प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करें।

3. यह सदस्य (विधि), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न: उक्तानुसार

(सुमित कुमार सिंह, आईआरएस)
उपायुक्त (ओएसडी)(टीपीएल)-IV
ईमेल: ustpl4-rev@nic.in

सेवा में:

एएडीआईटी (ओएंडएमएमस), नई दिल्ली

ईमेल: dit.doms@incometax.gov.in

संलग्नक

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536 (निरसन और बचत) के अंतर्गत संक्रमण प्रावधानों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क. समन एवं नोटिस

प्र1: क्या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ग) के प्रयोजन हेतु समन को नोटिस माना जाता है?

उ: कोई भी समन नोटिस के रूप में जारी किया जाता है। इसलिए समन आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत एक नोटिस है, जिसमें निरसन और बचत धारा भी शामिल है, ।

प्र2: क्या एसटीआर, टीईपी आदि या निर्धारण जैसी कार्यवाहियों के संबंध में, जो 01.04.2026 से पूर्व की अवधि से संबंधित हों, समन आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत जारी किया जाएगा?

उ: जहाँ टीईपी/एसटीआर/सीआरएस/एफएटीसीए आदि से उत्पन्न कोई निर्धारण या कोई मामले केवल 01.04.2026 से पूर्व की अवधि से संबंधित हो, वहाँ आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ग) ऐसे प्रयोजनों/ मामलों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग के लिए सक्षम बनाती है।

प्र3: क्या एसटीआर, टीईपी जैसी कार्यवाहियों के संबंध में समन, जो विशेष रूप से 01.04.2026 से पूर्व की अवधि से संबंधित न हो या 01.04.2026 को या उसके पश्चात की अवधि से संबंधित हो, आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत जारी किया जाएगा?

उ: जहाँ कोई टीईपी/एसटीआर आदि विशेष रूप से 01.04.2026 से पूर्व की अवधि से संबंधित न हो या जहाँ उक्त टीईपी/एसटीआर आदि को किसी विशिष्ट अवधि से जोड़ना कठिन हो, वहाँ समन जारी करने के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 246 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग उचित होगा। हालांकि, कर वर्ष 2025-26 और उससे पूर्व के संबंध में ऐसे समन के जारी होने के फलस्वरूप कोई भी कार्यवाही आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ग) का ध्यान रखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रारंभ की जानी होगी।

प्र4: क्या 01.04.2026 को या उसके पश्चात की अवधि से संबंधित निर्धारण कार्यवाहियों के संबंध में समन आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत जारी किया जाएगा?

उ: जहाँ कोई निर्धारण कर वर्ष 2026-27 से आगे से संबंधित हो, वहाँ समन जारी करने के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 246 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग उचित होगा।

प्र5: क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131(1क) या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 246(2) के अंतर्गत समन जारी करना आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ग) के अर्थ में एक कार्यवाही है?

उ: धारा 536(2)(ग) में यह प्रावधान है कि "निरसित आयकर अधिनियम के प्रावधान इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को लंबित किसी भी कार्यवाही पर और 1 अप्रैल, 2026 से पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में, 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात प्रारंभ की गई किसी भी कार्यवाही (जिसमें नोटिस, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, पुनर्गणना, सुधार, जुर्माना, संदर्भ, पुनरीक्षण और अपीलें शामिल हैं) पर लागू होते रहेंगे और ऐसी कार्यवाहियाँ निरसित आयकर अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।" इसलिए, किसी भी नोटिस का जारी होना आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ग) के अर्थ में एक कार्यवाही का परिणाम होता है। इस प्रकार, जहाँ समन 01.04.2026 से पूर्व की किसी अवधि से संबंधित किसी टीईपी/एसटीआर आदि के लिए 01.04.2026 को या उसके पश्चात जारी किया जाता है, तो यह आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ग) के अंतर्गत विधिवत कवर की गई कार्यवाही का कारण है और आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ग) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131(1) या 131(1क) के अंतर्गत समन जारी किया जाना है।

ख. तलाशी, अधिग्रहण और तलाशी पश्चात कार्यवाहियाँ

प्र6: क्या 01.04.2026 से पूर्व की गई तलाशियों के संबंध में तलाशी पश्चात पूछताछ के मामले में समन आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत जारी किया जाएगा?

उ: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(v) का प्रावधान है कि —

"(v) जहाँ इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व धारा 132 के अंतर्गत कोई तलाशी प्रारंभ की गई हो या धारा 132 क के अंतर्गत अधिग्रहण किया गया हो, वहाँ निरसित आयकर अधिनियम के प्रावधान ऐसी तलाशी या अधिग्रहण, यथास्थिति, के संबंध में संबद्ध किसी भी कार्यवाही पर लागू होते रहेंगे, मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं हुआ हो, "

इसलिए, 01.04.2026 से पूर्व प्रारंभ की गई तलाशियों या किए गए अधिग्रहण के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131(1) के अंतर्गत शक्तियाँ जहाँ आवश्यक हो प्रयोग की जा सकती हैं, अर्थात् तलाशी पश्चात जाँच और निर्धारण दोनों के लिए।

प्र7: क्या 01.04.2026 को या उसके पश्चात की गई तलाशियों के संबंध में तलाशी पश्चात पूछताछ में समन आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत जारी किया जाएगा?

उ: 01.04.2026 को या उसके पश्चात प्रारंभ की गई तलाशियों या किए गए अधिग्रहण के लिए, धारा 536(2)(v) लागू नहीं होती। इसलिए, तलाशी पश्चात पूछताछ और निर्धारण दोनों के लिए, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 246 के अंतर्गत शक्तियाँ प्रयोग की जानी हैं, जहाँ आवश्यक हो।

ग. सूचना माँगने की शक्ति

प्र8: आयकर अधिनियम, 1961 के निरसन के पश्चात आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133(6) और आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 252 के अंतर्गत सूचना माँगने की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा?

उ: समन के लिए वही सिद्धांत लागू होते हैं जैसा प्रश्न 1 से 7 में प्रदान किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133(6) या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 252 के अंतर्गत सूचना माँगने की शक्ति पर भी लागू होंगे।

घ. अधिकार-क्षेत्र, पैन प्रवासन और तलाशी मामले

प्र9: क्या तलाशी/सर्वेक्षण मामले या अन्यथा की स्थिति में पैन प्रवासन या क्षेत्राधिकार का अंतरण आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत किया जाएगा?

उ: क्षेत्राधिकार का अंतरण किसी निर्धारण वर्ष या कर वर्ष से संबंधित नहीं है। एक बार क्षेत्राधिकार अंतरित होने पर, सभी वर्षों से संबंधित सभी विषय नए निर्धारण अधिकारी को अंतरित हो जाते हैं। इस संबंध में, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ड) में यह उपबंध है:

"(ड) जहाँ आवेदन, अपील, संदर्भ या पुनरीक्षण के रूप में या किसी अन्य माध्यम से आयकर प्राधिकारी के समक्ष आयकर अधिनियम, 2025 के प्रारंभ के समय किसी कोई कार्यवाही लंबित हो, उसे इस प्रकार जारी रखा और निपटाया जाएगा मानो आयकर अधिनियम, 2025 अधिनियमित नहीं हुआ हो।"

इसलिए, जिन मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 127(2) के अंतर्गत नोटिस 1 अप्रैल 2026 से पूर्व ही जारी किए जा चुके थे, उनमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 127 के अंतर्गत अंतरण आदेश, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ड) और 536(2)(4) के साथ पठित उक्त धारा के अंतर्गत पारित किया जा सकता है। हालांकि, जहाँ क्षेत्राधिकार का अंतरण या पैन प्रवासन 1 अप्रैल 2026 को या उसके पश्चात प्रारंभ हुआ हो, वहाँ मामले को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 243 के अंतर्गत अंतिम आदेश पारित करके अंतरित किया जा सकता है।

ड. अनंतिम कुर्की, कुर्की और वसूली

प्र10: क्या अनंतिम कुर्की आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत की जाएगी?

उ: अनंतिम कुर्की निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान की जाती है। इसलिए, 01.04.2026 से पूर्व के कर वर्ष से संबंधित निर्धारण की स्थिति में, अनंतिम कुर्की आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281ख के अंतर्गत की जा सकती है। अन्यथा, अनंतिम कुर्की आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 500 के अंतर्गत की जा सकती है।

प्र11: क्या कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) द्वारा वसूली आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत की जाएगी?

उ: 01.04.2026 से पूर्व की अवधि से संबंधित किसी भी माँग की वसूली आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ग) के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत और साथ ही आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(i) के अनुसार आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत भी की जा सकती है। तदनुसार, 01.04.2026 से पूर्व की अवधि से संबंधित किसी भी माँग की वसूली दोनों अधिनियमों के अंतर्गत सक्षम है।

च. निदेशक का दायित्व, जुर्माने, कर निकासी, अभियोजन और प्रतिधारण

प्र12: क्या निजी कंपनी के निदेशकों के दायित्व के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 179 के अंतर्गत कार्यवाहियाँ आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत प्रारंभ की जाएंगी?

उ: जहाँ किसी निजी कंपनी की कोई अशोध्य माँग किसी विशेष अवधि से संबंधित हो और कोई व्यक्ति उक्त अवधि के दौरान उस कंपनी का निदेशक हो, तो ऐसा व्यक्ति उस माँग के लिए संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से उत्तरदायी होगा। इस प्रकार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 179 या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 323 के अंतर्गत देयता, अवधि जिससे माँग संबंधित हो, उसके अनुसार ऐसे व्यक्ति पर आरोपित किया जाएगा।

प्र13: क्या कर माँग के चूक पर जुर्माना आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत लगाया जाएगा?

उ: जहाँ निर्धारित कर बकाया के भुगतान में चूक करता हो, वहाँ जुर्माना आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(घ) को देखते हुए 01.04.2026 से पूर्व की अवधि से संबंधित माँग पर, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 221 के अंतर्गत लगाया जाएगा। हालांकि, जहाँ माँग 01.04.2026 को या उसके पश्चात की अवधि से संबंधित हो तो ऐसा जुर्माना आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 412 के अंतर्गत लगाया जाएगा।

प्र14: क्या कर निकासी प्रमाण-पत्र (टीसीसी) आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत जारी किया जाएगा?

उ: यदि टीसीसी के लिए आवेदन 01.04.2026 से पूर्व प्राप्त हुआ हो, तो टीसीसी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230 या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 420 के अंतर्गत जारी किया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उक्त प्रमाण-पत्र 31.03.2026 तक की अवधि पर लागू है या उसके पश्चात की अवधि पर। हालांकि, जहाँ आवेदन 01.04.2026 को या उसके पश्चात प्राप्त हुआ हो, तो टीसीसी आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 420 के अंतर्गत जारी किया जाएगा।

प्र15: क्या अभियोजन आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत शुरू किया जाएगा?

उ: इस संबंध में, प्रथम चरण के रूप में वह धारा निर्धारित की जानी है जिसके अंतर्गत चूक हुई है। तदनुसार, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ग) को देखते हुए अभियोजन की कार्रवाई की जानी है।

उदाहरण के लिए:

- (i) यदि चूक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281ख के अंतर्गत हुई हो, तो अभियोजन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276 के अंतर्गत शुरू किया जाएगा।
- (ii) यदि चूक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(3) के अंतर्गत हुई हो, तो अभियोजन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 275क के अंतर्गत शुरू किया जाएगा।
- (iii) यदि चूक आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397(3)(क) के अंतर्गत हुई हो, तो अभियोजन आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 477 के अंतर्गत शुरू किया जाएगा।

प्र16: क्या लेखा पुस्तकों का प्रतिधारण आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत किया जाएगा?

उ: इस संबंध में, पहले वह धारा निर्धारित की जानी है जिसके अंतर्गत कार्रवाई हुई है। तदनुसार, लेखा पुस्तकों का प्रतिधारण किया जाना आवश्यक है।

उदाहरण के लिए:

- (i) यदि तलाशी कार्रवाई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अंतर्गत प्रारंभ की गई हो, तो लेखा पुस्तकों का प्रतिधारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(8) के अंतर्गत और उसी प्रकार किया जाएगा।
- (ii) यदि तलाशी आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 247 के अंतर्गत प्रारंभ की गई हो, तो लेखा पुस्तकों का प्रतिधारण

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 251(3) के अंतर्गत किया जाएगा।

(iii) यदि सर्वेक्षण कार्यवाई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133क के अंतर्गत की गई हो, तो अभिग्रहण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133क(3)(i) के अंतर्गत किया जाएगा और यदि सर्वेक्षण आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 253 के अंतर्गत किया गया हो, तो अभिग्रहण आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 253(5)(ग) के अंतर्गत किया जाएगा।

(iv) समान सिद्धांत जैसा (iii) में संदर्भित है, निर्धारण कार्यवाही पर भी लागू होता है।

छ. आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत लाभ के लिए आवेदन

प्र17. आयकर अधिनियम, 1961 की धाराओं 10(46), 10(46क), 80ड, 80ग(2), 80छ(2) और 11(1)(ग) आदि के अंतर्गत लाभ के लिए ऐसे आवेदनों, जो 31.03.2026 को या उससे पूर्व दाखिल किए गए थे और अभी भी लंबित हैं, का निपटान किस प्रकार किया जाएगा?

उ: आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किसी लाभ लेने वाले 31.03.2026 को या उससे पूर्व दाखिल किए गए आवेदनों का निपटान आयकर अधिनियम, 1961 के संबंधित प्रावधानों के साथ पठित आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ग) या, यथास्थिति, धारा 536(2)(ड) को, पढ़कर किया जा सकता है।

ज. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कख/80छ के अंतर्गत लंबित आवेदन

प्र18. 31.03.2026 को या उससे पूर्व दाखिल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कख या धारा 80छ के अंतर्गत पंजीकरण/अनुमोदन आवेदन, जो 01.04.2026 को लंबित हों और जहाँ अनुमोदन कर वर्ष 2025-26 से आगे के लिए माँगा गया हो, का प्रसंस्करण किस प्रकार किया जाएगा?

उ: जहाँ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कख या धारा 80छ के अंतर्गत पंजीकरण/अनुमोदन आवेदन, जो 31.03.2026 को या उससे पूर्व दाखिल किया गया हो, 01.04.2026 को लंबित हो और कर वर्ष 2025-26 सहित आगे के लिए अनुमोदन माँगा गया हो, वहाँ कार्यवाहियाँ आयकर अधिनियम, 2025 की धाराओं 536(2)(ग) और 536(2)(ड) के आधार पर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत जारी रह सकती हैं।

प्र19. क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कख या धारा 80छ के अंतर्गत किसी अवधि के लिए दिया गया पंजीकरण/अनुमोदन वैध रहेगा?

उ: हाँ। आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दिया गया कोई भी पंजीकरण या अनुमोदन, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(j) के अंतर्गत वैध और संरक्षित रहेगा।

प्र20. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कख/80छ के अंतर्गत कर वर्ष 2026-27 से अनुमोदन माँगने वाले लंबित आवेदनों का निपटान किस प्रकार किया जाएगा?

उ: कर वर्ष 2026-27 से संबंधित छूट/कटौतियों के विषयों के लिए आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधान लागू होते हैं। तदनुसार, 31.03.2026 को या उससे पूर्व दाखिल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कख/80छ के अंतर्गत आवेदन, जो 01.04.2026 को लंबित हो और कर वर्ष 2026-27 से आगे के लिए अनुमोदन माँगा गया हो, तो इसे प्रशासनिक रूप से आयकर अधिनियम, 2025 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दाखिल किया गया माना जा सकता है और आयकर अधिनियम, 2025 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत अनुमोदनों पर विचार/प्रसंस्करण किया जा सकता है।

झ. लंबित न्यूनतम कटौती प्रमाण-पत्र/शून्य कटौती प्रमाण-पत्र आवेदन

प्र21. उन न्यूनतम कटौती प्रमाण-पत्र (एलडीसी)/शून्य कटौती प्रमाण-पत्र (एनडीसी) आवेदनों का क्या होगा जो 31 मार्च 2026 को या उससे पूर्व दाखिल किए गए और निपटाए गए थे?

उ: 31 मार्च 2026 को या उससे पूर्व दाखिल और 31 मार्च 2026 को या उससे पूर्व निपटाए गए आवेदनों के लिए इन आवेदनों के संदर्भ में जारी प्रमाणपत्र आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ञ) के साथ पठित धारा 536(2)(ख) के प्रावधानों को देखते हुए संरक्षित हैं।

प्र22. 31 मार्च 2026 को या उससे पूर्व दाखिल किए गए लेकिन 01.04.2026 को लंबित एलडीसी /एनडीसी आवेदनों के साथ कैसे व्यवहार किया जाएगा?

उ: कर वर्ष 2026-27 से संबंधित एलडीसी /एनडीसी से संबंधित मामलों के लिए आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधान लागू होते हैं। तदनुसार, जहाँ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के अंतर्गत आवेदन, जो 31.03.2026 को या उससे पूर्व दाखिल किया गया हो, 01.04.2026 को लंबित हो और कर वर्ष 2026-27 से आगे के लिए अनुमोदन माँगा गया हो, तो इसे प्रशासनिक रूप से आयकर अधिनियम, 2025 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दाखिल किया गया माना जा सकता है और आयकर अधिनियम, 2025 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत अनुमोदनों पर विचार/प्रसंस्करण किया जा सकता है।

प्र23. 1 अप्रैल 2026 को या उसके पश्चात दाखिल एलडीसी /एनडीसी आवेदनों का निपटान किस प्रकार किया जाएगा?

उ: 1 अप्रैल 2026 को या उसके पश्चात दाखिल आवेदनों का निपटान पूर्णतः आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
